

प्रपत्र-'क'

**किसान समृद्धि योजना के लिए आवेदन
(व्यक्तिगत किसान के लिए)**

आवेदक						
समूह का नाम (यदि समूह के माध्यम से आवेदन कर रहा है)						
पिता/पति का नाम						
उप्र					पासपोर्ट साइज फोटो	
लिंग						
जिला						
प्रखण्ड						
पंचायत						
ग्राम						
जाति	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य					
कुल रकबा (एकड़ में)						
जमीन का विवरण						
क्रम संख्या	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	रकबा (डिस्मिल में)	कुल	
फसल का विवरण						
क्रम संख्या	फसल का नाम			रकबा	उपज	
सिंचाई जल स्रोत	नदी/तालाब/झोभा/कुंआ					
आधार संख्या						
मोबाइल नंबर						
मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं योजना के निर्देशिका के अनुसार पात्र आवेदक हूं। किसी भी समय मेरे द्वारा घोषित जानकारी गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं अपना आधार कार्ड स्वेच्छा से दे रहा हूं। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि योजना का लाभ लेने के लिए मैं Escrow Bank Account में 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैंने इस तरह की योजना का लाभ किसी भी सरकारी योजना में नहीं लिया है तथा मेरे पास इस तरह की इकाई नहीं है। मैं अपने परिवार से इस योजना हेतु एकल आवेदन कर रहा/रही हूं। मैं समूह के सदस्य के रूप में नहीं कर रहा/रही हूं।						
संलग्नक: <ol style="list-style-type: none"> 1. राशन कार्ड का फोटो कॉपी 2. जमीन का मालगुजारी रसोद का फोटो कॉपी 3. आधार कार्ड का फोटो कॉपी 4. वंशावली/शापथ पत्र की फोटो कॉपी 5. PM Kisan का पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 6. जल स्रोत का प्रमाण-पत्र (ग्राम सभा द्वारा) 				अनुमोदित		
				ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर Mob. No.— दिनांक—		

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

प्रपत्र-'अ'

अनुलेखक-॥

कृषि समूद्धि योजना

कृषक समूह/ महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आवेदन पत्र

(समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। एक आवेदन पत्र में अधिकतम 10 सदस्यों के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 से ज्यादा सदस्यों के लिए अलग से नया आवेदन किया जा सकता है। एक समूह एक वर्ष में अधिकतम दो ही आवेदन कर सकता है।)

समूह का नाम JSPLS द्वारा पंजीकृत हैं या नहीं (केवल महिला स्वयं सहायता समूह के लिए) पंजीकरण संख्या:	हाँ	नहीं			
समूह के गठन के तारीख					
समूह के अध्यक्ष का नाम, जो समूह की ओर से आवेदन करेंगे					
मोबाइल नंबर (आधार लिंकड)					
आधार नंबर					
समूह का पता- ग्राम प्रखंड	पंचायत जिला				
समूह के सदस्यों एवं कृषि भूमि का विवरण					
क्र. सं.	सदस्य का नाम	आधार नंबर	आधार लिंकड मोबाइल नंबर	भूमि का विवरण	
1				मौजा-	थाना नं-
2				खाता नंबर	प्लाट/घेराय नंबर
3				एकड़	डिसिनिल
4					

5												
6												
7												
8												
9												
10												
कुल रकमा												

समूह द्वारा खेती का विवरण												
क्रम संख्या	फसल का नाम			रकमा (एकड़ में)								
सिचाई जल स्रोत	नदी	तालाब	दौधा / कुआं	अनुगोदित	ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर	मोबाइल नंबर:	दिनांक—					
घोषणा / सहमति												
इस समूह के सभी सदस्य यह घोषणा करते हैं की योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार समूह पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। समूह योजना का लाभ लेने के लिए समूह द्वारा एस्क्रॉ (Escrow) बैंक अकाउट में 10% की अशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस समूह द्वारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी ओत से नहीं लिया गया है और ना हो समूह और समूह के सदस्यों या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। समूह के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। समूह के सदस्यों की ओर से समूह के अध्यक्ष e-KYC कराएंगे।												
संलग्नक :-												
1. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कोपी	समूह के अध्यक्ष का हस्ताक्षर											
2. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का राशन कार्ड का फोटो कोपी												
3. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रशीद												

नोट- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

प्रपत्र-'ग'

कृषि समृद्धि योजना

अनुलेखनक-III

कृषक उत्पादक संस्था/कृषक उत्पादक कंपनी/लैम्प्स/पैक्स के लिए आवेदन पत्र

(एक आवेदन पत्र में अधिकतम 10 शरहोल्डर्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 से ज्यादा शरहोल्डर्स के लिए अलग से नया आवेदन किया जा सकता है। एक संस्था एक वर्ष में अधिकतम दो ही आवेदन कर सकता है।)

कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह का पंजीकृत नाम						
संस्था के गठन का प्रकार (टिक करें)	कंपनी रजिस्ट्रार	नाबार्ड	NCDC	NAFED	SFAC	निबंधक सहकारी समितियां
पंजीकरण संख्या:						
संस्था के GST नंबर/ PAN/TAN नंबर						
गठन के तारीख						
कुल शेयरहोल्डर सदस्यों की संख्या						
संस्था के अधिकृत पदाधिकारी का नाम जो संस्था की ओर से आवेदन भरेंगे						
मोबाइल नंबर (आधार लिंक)						
आधार नंबर						
समूह का पता- ग्राम पंचायत जिला						
प्रबंध						
शेयरहोल्डर सदस्यों एवं कृषि भूमि का विवरण जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं						
क्र. सं.	शेयरहोल्डर सदस्य का नाम	आधार नंबर	आधार लिंक मोबाइल नंबर	भूमि का विवरण		
				गौजा-	वाना नं०-	खाता नंबर
1						
2						
3						
4						

5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

कुल रकबा

संस्था द्वारा खेती का विवरण :

क्रम संख्या	फसल का नाम	रकबा (एकड़ में)

स्लिंचाई जल झोत	नदी	तालाब	डोमा/कुआं

घोषणा/सहनति

यह संस्था के घोषणा करती है कि योजना के प्रयालन निर्देशिका के अनुसार संस्था पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। संस्था योजना का लाभ लेने के लिए संस्था द्वारा एस्क्रॉप (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूढ़ यह भी घोषणा करता है की इस संस्था द्वारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी झोत से नहीं लिया गया है और ना ही आवेदन में दिए गए सदस्यों के पास या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। संस्था के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। संस्था के सदस्यों की ओर से अधिकृत पदाधिकारी e-KYC कराएंगे।

संलग्नक:

- सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कॉपी
- सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का जमीन का मालागुणारी ररीद
- संस्था पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- GST/PAN/TAN की फोटो कॉपी

नोट- आवेदक सभी जानकारी स्वाक्षर पूर्तक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

अनुमोदित

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर

मोबाइल नंबर:
दिनांक-

संस्था के अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुलेखक-IV

प्रपत्र-‘घ’

किसान समृद्धि योजना

Verification report of installed unit by PD ATMA

प्रपत्र-'ड.'

किसान समृद्धि योजना

आवेदक द्वारा संतुष्टि पत्र तथा भुगतान हेतु अनुरोध पत्र

सेवा में,

दिनांक-

जिला कृषि पदाधिकारी,

जिला-.....

महाशय,

मैंआधार संख्या.....अध्यक्ष/सक्षम

पदाधिकारी (समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS का नाम).....

ग्राम.....पंचायत.....प्रखण्ड.....

यूचित करता हूं कि श्रीआधार सं0.....

को किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत 2HP/5HP सोलर पम्प इकाई का अधिष्ठापन उक्त

योजना हेतु अधिसूचित कम्पनी द्वारा किया गया

है और मैं इकाई अधिष्ठापन के कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हूं।

अतः अनुरोध है कि उक्त कम्पनी को देय राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

आवेदक का नाम/समूह के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी का नाम

मोबाइल सं0-

दिनांक-